न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कामां

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेडलीगुमानी

इजलास श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 16/2021

रहमती पत्नि फजरूद्दीन जाति मेव निवासी ग्राम घोसिंगा तहसील पहाडी जिला भरतपुर

प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार कामां जिला भरतपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक: ~~15.10.20~~21
15/12/21

प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 346/0.04 हैक्ट0 वाके ग्राम जुरहरा नम्बर 1 तहसील कामां पहले कल्लू पुत्र निवाज जाति मेव निवासी ग्राम जुरहरी का था जिसने दिनांक 3.11.2014 को प्रार्थीया को पजीकृत बयनामा करा दिया और प्रार्थीया वहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज हो गया। तभी से प्रार्थीया उक्त आराजी पर काबिज चली आ रही है । उस समय यह नम्बर सडक सीमा से लगा हुआ था तथा नम्बर की लम्बाई उत्तर से दक्षिण थी जिसका पुराना नक्शा एवं नकल जमाबन्दी सं0 2069 से 2072 हाल पेश है । भू प्रबन्ध अधिकारी ने खसरा नम्बर 346/0.04 को दो नये खसरा नम्बर 444 एवं 446 बनाये जिसमें खसरा नम्बर 444 /0.02 की किस्म गैरमुमकिन सडक व खसरा नम्बर 476/0.02 की किस्म बारानी प्रथम दर्ज कर प्रार्थीया का नाम कर दिया है। सैटलमेन्ट नक्शे में प्रार्थीया के जरिये पंजीकृत बयनामा से खरीदशुदा खसरा नम्बर 444 को गैरमुमकिन सडक दर्शा दिया तथा साबिक खसरा नम्बर 346 की लम्बाई उत्तर से दक्षिण थी, को समाप्त करके नये खसरा नम्बर 444 को खिलाफ मौका गैरमुमकिन सडक दर्ज कर सडक सीमा में घुसा दिया गया जबकि सडक साबिक खसरा नम्बर 346 से सटी हुई थी और मौके पर भी सडक सीमा के बाहर सटी हुयी है । अतः खसरा नम्बर 444 की किस्म जमीन परिवर्तित कर नक्शे दर्शाये गये सडक मध्य से मौका अनुसार पृथक दर्शा कर नक्शे में दुरस्ती करने की कृपा करें । खसरा नम्बर 444 व 476 को सेटलमेन्ट नक्शे में पुराने नक्शे के आधार पर लम्बाई उत्तर से दक्षिण की जावे तथा गैरमुमकिन सडक को जो खसरा नम्बर 444 में दर्शा दिया है उसको समाप्त करके सडक को प्रार्थीया के उक्त दोनो नम्बरो से अलग दर्शाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार कामां ने उपस्थित होकर जबाव पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 346 रकवा 0.04 हाल नम्बर 444/0.02, 476/0.02 के सम्बन्ध में मौका देखा गया । वर्तमान जमाबन्दी में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गत ख0नं 346 रकवा 0.04 हैक्ट0 के दो नम्बर क्रमश 476 रकवा 0.02 किस्म जमीन बारानी व 444 रकवा 0.02 किस्म गै0मु0 सडक रहमती पत्नि फजरूद्दीन जाति मेव निवासी घोसिंगा की खातेदारी में दर्ज किये गये हैं ।

उपरोक्त आराजी का गत व हाल खसरा नम्बर के अनुसार मौका मिलान कर जांच की गई मौके पर रहमती द्वारा दुकाने व मकान निर्माण किया हुआ है । खसरा नम्बर 444 व 476 जुरहरा में स्थित है जो जुरहरा से पुन्हाना जाने वाले रोड से सटा हुआ है । प्रार्थीया द्वारा रोड मध्य से 35 फुट छोडकर निर्माण किया हुआ है । तथा मुताबिक मौका गत खसरा नम्बर 346 रकवा 0.04 हैक्ट0में से कोई रकवा सडक में नहीं गया है । हाल नक्शा में ख 0नं0 444 रकवा 0.02 हैक्ट0जो सडक मध्य में दर्शाया है व हाल खसरा नम्बर 478 का हिस्सा हो सकता है जो गत खसरा नम्बर 347 व हाल खसरा नम्बर 478 का हिस्सा है ।

अतः वर्तमान रिकार्ड में खसरा नम्बर 444 रकवा 0.02 हैक्ट0 किस्म जमीन गै0मु0 सडक से बारानी दर्ज करना उचित है साथ ही खसरा नम्बर 444 जो जुरहरा से पुन्हाना रोड के अन्दर दर्शाया है वह सही नहीं है । मौके पर खसरा नम्बर 444 सडक सीमा से बाहर सडक से सटा हुआ है ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना को साबित करने के लिए जमाबन्दी सं0 2074–2077, 2069 सं0 2072, व नक्शा सैटलमेन्ट, नक्शा ट्रेस पेश किया है । मिलान खसरा भी पेश की है । जो शामिल पत्रावली है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें वर्तमान रिकार्ड में खसरा नम्बर 444 रकवा 0.02 हैक्ट0 किस्म जमीन गै0मु0 सडक से बारानी दर्ज करना उचित है साथ ही खसरा नम्बर 444 जो जुरहरा से पुन्हाना रोड के अन्दर दर्शाया है वह सही नहीं है । मौके पर खसरा नम्बर 444 सडक सीमा से बाहर सडक से सटा हुआ है । जिसका नक्शा भी पेश किया है । उपलब्ध दस्तावेज एव मनन किया गया । खसरा नम्बर 444 रकवा 0.02 हैक्ट0 किस्म जमीन गै0मु0 सडक से बारानी दर्ज करना उचित समझते हैं ।

अत आदेश है कि खसरा नम्बर 444 रकवा 0.02 हैक्टर वाके ग्राम जुरहरा किस्म गै0मु0 सडक से बारानी दर्ज किया जाता है ।

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कामां

Scanned with CamScanner